राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक प.8(18)गृह–12/कारा/2020 जयपुर, 07 अगस्त, 2020

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
राजस्थान।

विषयः राज्य के कारागृहों में पाये जाने वाली निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी हेतु सघन अभियान चलाने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य के कारागृहों में मोबाईल उपकरण, सिमकार्ड एवं अन्य निषिद्ध सामग्री पायी गयी है जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं से कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में नकारात्मक छवि के साथ साथ ही बंदियों के जीवन व जेल की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है।

उपरोक्त संदर्भ में राज्य के समस्त कारागृहों में मोबाईल उपकरण, सिमकार्ड एवं अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम हेतु सघन तलाशी अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

इस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित कारागृहों की तलाशी हेतु तलाशी दल गठित किया जावें। इस तलाशी दल में जिले में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं अन्य उपयुक्त अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जावे। इस तलाशी दल का प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जावे। साथ ही, तलाशी दल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए जावें। उपरोक्त हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध RAC का भी उपयोग किया जा सकता है।

तलाशी दल तलाशी लेने जाते समय वीडियों रिकॉर्डिंग किया जाना सुनिश्चित करे। महानिदेशक, कारागार यह सुनिश्चित करें कि जेल अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान तलाशी दल का पूर्ण सहयोग किया जावे। तलाशी लेते समय बंदी द्वारा यदि अनुशासनहीनता की जाती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आवश्यक रूप से की जावे। तलाशी लेते समय अनुशासन बना रहने के साथ साथ गोपनीयता भंग नही हो, यह भी सुनिश्चित किया जावे।

तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जावे तथा एक–एक करके बंदियों को बैरिक से बाहर निकालकर तलाशी ली जावे। बंदी बैरिक एवं बंदी वार्ड की भी समुचित तलाशी ली जावे। तलाशी दल द्वारा सांयकाल जेल बंद होने से प्रातःकाल जेल खुलने से पहले के समय में इस अभियान के संचालन को प्राथमिकता दी जाये। जिन कारागृहों में CCTV स्थापित हैं, वहां पर इस फुटेज का भी उपयोग किया जाए।

जिन कारागृहों में बंदियों के पास मोबाईल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाती है, उन बंदियों का तत्काल अन्य कारागृहों पर स्थानान्तरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे पुनः प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त करने की संभावना से बचाव होने के साथ उनका हतोत्साहन हो। ऐसे प्रकरणों में केस दर्ज किए जाने के साथ साथ जेल रिकॉर्ड्स में भी एण्ट्री की जावे ताकि जमानत एवं पैरोल इत्यादि के भविष्य में निर्णय के समय इस जानकारी का भी उपयोग किया जाए।

कुछ कारागृहों जिनकी अवस्थिति नगर क्षेत्र के मध्य है अथवा जहाँ नगरीय आवासीय कॉलोनियां कारागृह की सीमा के नजदीक स्थित हैं, वहाँ सामान्यतः बाहर से जेल के अंदर पार्सल बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित सामग्री फेंकी जाती है, वहाँ जेल की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन/पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था की जाए।

लावारिस हालत में पाये जाने वाले मोबाईलों की F.S.L. से जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जाये, क्योंकि ऐसा ध्यान में लाया गया है कि अपराधियों द्वारा प्रायः IMEI नम्बर मिटा दिये जाते हैं। ऐसा होने पर उच्च तकनीक का प्रयोग कर मोबाईल उपकरण के उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी अर्जित की जा सकती है।

संवेदनशील कारागृहों पर स्टाफ को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आपके जिले में स्थित समस्त कारागृहों की आकस्मिक तलाशी हेतु अभियान चलाकर सघन तलाशी करायी जाना सुनिश्चित कर तलाशी रिपोर्ट/सूचना आवश्यक रूप से भिजवाये जाने का श्रम करें।

भवदीय,

07/08/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर
2. महानिदेशक, कारागृह, राजस्थान, जयपुर
3. महानिदेशक, होमगार्ड्स, राजस्थान, जयपुर
4. अति0 महानिदेशक, आर0ए0एसी, राजस्थान, जयपुर

शासन उप सचिव
गृह (कारागृह) विभाग